फा. सं. 1-3/2001-वीएंडएल/भाग-II
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016
(सतर्कता एवं विधिकार्य अनुभाग**)**

दिनांक: 13.08.2024

विषय: एनसीईआरटी में पांच (05) अधिवक्ताओं के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी परिपत्र।

माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में उन्हें सौंपे गए मामलों में एनसीईआरटी और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच (05) अधिवक्ताओं के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. केवल पेशेवर अधिवक्ता ही पैनल में शामिल होने के पात्र हैं। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित अर्हताएं, अनुभव और अन्य नियम व शर्तें संलग्न हैं।

3. वर्तमान में एन.सी.ई.आर.टी. के पैनल में सूचीबद्ध अधिवक्ताओं को नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

4. पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र में बायोडाटा और संबंधित सहायक दस्तावेज (शैक्षिक, अनुभव, पंजीकरण संख्या, कोर्ट के आदेश/judgement, आदि) के साथ **उप सचिव, सतर्कता और विधिकार्य अनुभाग, जाकिर हुसैन खण्ड, एनसीईआरटी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016 को दिनांक 30.08.2024 शाम 05.30 PM** तक स्वयं या स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट से भिजवाने का श्रम करें। लिफाफे के शीर्ष पर '**अधिवक्ता के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन'** स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

(अवर सचिव)
दूरभाष: 011-26592193
011-26592115
Email: ncertvigleg@gmail.com

<u>एनसीईआरटी में अधिवक्ता के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड</u>

<u>तथा</u>

<u>नियम और शर्तें</u>

<u>(1.) पात्रता मापदंड:</u>

1. अधिवक्ता वर्तमान में बार काउंसिल में नामांकित होना चाहिए तथा नियमित प्रैक्टिसनर होना चाहिए।

2. अधिवक्ता को सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए।

3. अधिवक्ता के पास सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट/कैट और अन्य न्यायालयों में सिविल/क्रिमिनल प्रकृति के मामलों के संचालन/बचाव में 10 वर्ष का नियमित अनुभव होना चाहिए। सेवा मामलों, संविदागत और अस्थायी रोजगार के साथ-साथ अन्य संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों की जांच करने वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी।

4. सेवा में कमी, धोखाधड़ी में संलिप्तता, किसी अन्य संगठन द्वारा किसी आपराधिक शिकायत में आरोपी के रूप में नामित किए जाने या बार काउंसिल द्वारा उसका लाइसेंस निलंबित किए जाने के कारण किसी भी पैनल से ब्लैकलिस्ट किए गए/हटाए गए अधिवक्ता पात्र नहीं हैं। इस आशय का एक हलफनामा-सह-घोषणा संलग्न प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में अधिवक्ता द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है।

5. अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में कम से कम दस (10) प्रभावी आदेश/निर्णय प्रदान करने होंगे, जिसमें वे उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे मामलों में अधिवक्ता/वकील के रूप में उपस्थित हुए हों।

(2.) कार्य का दायरा:

1. अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय (रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के रूप में), दिल्ली उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्य पीठ, दिल्ली और जिला न्यायालयों और भारत के क्षेत्र में स्थित अन्य न्यायालयों में सिविल/आपराधिक/सेवा मामलों (चल रहे और नए दोनों तरह के मामले) के संचालन/बचाव और प्रबंधन का कार्य सौंपा जाएगा।

2. अधिवक्ता, उन्हें सौंपे गए मामलों में उच्चतम -न्यायालय (रिकॉर्ड अधिवक्ता के रूप में), दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के समक्ष एनसीईआरटी और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

3. अधिवक्ता न्यायालय/न्यायाधिकरण के नोटिस, जैसा भी मामला हो, को एनसीईआरटी और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राप्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि एनसीईआरटी और उसके अधिकारियों के खिलाफ कोई 'एकपक्षीय' आदेश पारित न किया जाए।

4. अधिवक्ता उन मामलों को संभालेंगे, जो उसे सौंपे गए हैं और ऐसे सौंपे गए मामलों में न्यायालयों में उपस्थित होंगे और आवश्यकतानुसार लिखित बयान, आवेदन, जवाबी हलफनामा आदि तैयार करेंगे।

5. अधिवक्ता एनसीईआरटी द्वारा संदर्भित मामले पर कानूनी राय प्रदान करेंगे।

6. अधिवक्ता को एनसीईआरटी और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से, जब भी मांगा जाएगा, कानूनी नोटिसों का जवाब भी तैयार करना होगा।

7. अधिवक्ता को, जब भी मांगा जाएगा, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में लिखित संक्षिप्त विवरण और पैरावार टिप्पणियां तैयार करने में भी सहायता करनी होगी।

8. अधिवक्ता नए न्यायालयीन मामले दायर करने या एनसीईआरटी और/या उसके अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध किसी मामले का निर्णय होने पर अपील दायर करने की स्वीकार्यता के संबंध में अपनी राय देंगे।

9. यदि एनसीईआरटी द्वारा किसी विशेष मामले में उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय/फोरम के समक्ष विधि अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल या अन्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है, तो अधिवक्ता उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।

10. अधिवक्ता को समय-समय पर मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से एनसीईआरटी को अवगत कराना होगा, विशेष रूप से प्रारूपण, कागजात भरने, मामले की सुनवाई की तारीखों, निर्णयों की प्रतियां उपलब्ध कराने आदि के संबंध में।

11. अधिवक्ता विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे एनसीईआरटी द्वारा सौंपे जाएं।

12. अधिवक्ता को, जब भी कहा जाए, परिषद के महत्वपूर्ण/गोपनीय दस्तावेज की कानूनी जांच जैसे कर्तव्य का भी निर्वहन करना होगा।

(3.) पैनलबद्ध अधिवक्ता को देय शुल्क तथा नियम एवं शर्तें

1. पैनल अधिवक्ता, पैनल की अवधि के दौरान एनसीईआरटी के विरुद्ध कोई मामला नहीं उठाएंगे।

2. अधिवक्ता को कोई रिटेनरशिप फीस या नियत टेलीफोन बिल फीस नहीं दी जाएगी। दिल्ली में मामलों के लिए टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। दिल्ली से बाहर के मामलों को संभालने के लिए टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा, यदि कोई हो।

3. अधिवक्ता की फीस परिषद के दिनांक 25.09.2017 के आदेश के अनुसार भुगतान की जाएगी, जिसकी प्रति भी संदर्भ हेतु संलग्न है।

4. पैनल की शर्तों एवं नियमों के संबंध में किसी भी संदेह या मतभेद की स्थिति में, एनसीईआरटी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. पैनल की समाप्ति के बाद, अधिवक्ता 5 वर्ष तक एनसीईआरटी के विरुद्ध कोई मामला नहीं लड़ेगा।

6. यदि अधिवक्ता द्वारा उपस्थित न होने, या न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के आधार पर एनसीईआरटी पर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसका भुगतान संबंधित अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा।

7. अधिवक्ता की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4.) परामर्शदाता का पैनलीकरण और कार्यकाल:

1. प्राप्त आवेदनों की एनसीईआरटी द्वारा जांच की जाएगी तथा परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

2. अधिवक्ता तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, जिसे एनसीईआरटी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

3. एनसीईआरटी बिना कोई कारण बताए पैनल में शामिल किए जाने वाले अधिवक्ता/अधिवक्ताओं की संख्या या किसी भी अधिवक्ता को शामिल न करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

4. पैनल की शर्तों और नियमों के संबंध में किसी भी संदेह या मतभेद की स्थिति में, एनसीईआरटी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

5. अधिवक्ता की नियुक्ति/पैनल पूरी तरह से अस्थायी होगी और किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर इसे समाप्त किया जा सकता है। अपने विवेक से, एनसीईआरटी पैनल में शामिल अधिवक्ताओं में से किसी एक को न्यायालय के मामला/मामले सौंप सकती है और अधिवक्ता को न्यायालय के मामला/मामले के सौंपे जाने के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

6. प्राप्त आवेदनों की एनसीईआरटी द्वारा जांच की जाएगी तथा परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

7. पैनल में शामिल किए जाने वाले परामर्शदाताओं की संख्या एनसीईआरटी द्वारा अपनी आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

8. जो अधिवक्ता वर्तमान में एनसीईआरटी में सूचीबद्ध हैं, उन्हें नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

एनसीईआरटी में पैनल अधिवक्ता के आवेदन हेतु प्रपत्र

PHOTO

1.	आवेदक का नाम	
2.	जन्म तिथि एवं आयु	
3.	पिता का नाम	
4.	पूरा आवासीय पता	
5.	पूरा आधिकारिक पता	
6.	कार्यालय संख्या के साथ मोबाइल/संपर्क संख्या	
7.	ईमेल आईडी	
8.	शैक्षिक अर्हता (12वीं कक्षा के बाद) (दस्तावेज की स्व-अनुप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)	
9.	बार काउंसिल नामांकन संख्या और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तिथि (दस्तावेज की स्व-अनुप्रमाणित फोटोकॉपी)	
10.	उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में वर्षों का अनुभव (कृपया उस उच्च न्यायालय का	

	उल्लेख करें जहां नामांकित हैं)	
11.	क्या आप केंद्र/राज्य सरकार या उसके संगठनों में पैनल वकील/स्थायी अधिवक्ता/कानूनी अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं या पहले काम कर चुके हैं (दस्तावेज की स्व-अनुप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)	
12.	शैक्षिक अर्हता, अनुभव और अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में संक्षिप्त नोट (एक संक्षिप्त शीट पर)	

नोट: जहां भी आवश्यक हो, विशिष्ट बिंदुओं पर अलग से नोट संलग्न किया जा सकता है।

हस्ताक्षर:

नाम:

स्थान:

दिनांक:

<u>शपथ-पत्र-सह-घोषणा</u>

मैं _____अधिवक्ता नामांकन संख्या _____ का धारक हूँ, इसके द्वारा प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:

(i) मुझे सेवा में कमी, धोखाधड़ी में संलिप्तता, किसी अन्य संगठन द्वारा किसी आपराधिक शिकायत में आरोपी के रूप में नामित करने के कारण किसी भी पैनल से काली सूची में नहीं डाला गया है/हटाया नहीं गया है;

(ii) बार काउंसिल द्वारा मेरा लाइसेंस निलंबित नहीं किया गया है।

(अधिवक्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

दिनांक:

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

F. 1-3/2001-V&L

National Council of Educational Research & Training
Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110016

Dated : 25th September, 2017

ORDER

Approval of the Council is hereby accorded for revision of the fee payable to the advocates on panel for defending various types of cases in the Hon'ble Supreme Court, High Court, CAT and District Courts.

Nature of Legal work	Present Fee (Rs.)	Revised Fee (Rs.)
All regular appeals and defended writ petitions for final hearing in Supreme Court.	6,000/-	9,000/-
All defended admission matters SLP/TP, WP and other misc, matters hearing per case per day in High Courts, CAT and equivalent Court (Effective hearing)	3,000/-	6,000/-
All defended admission matters SLP/TP, WP and other misc, matters hearing per case per day in High Courts, CAT and equivalent Court (Non - Effective hearing)	1,000/- (A maximum of 5 hearings)	No change (A maximum of 5 hearings)
Drafting / Setting of pleadings and Written Submissions	2,000/-	3,500/-
Conference :- (i) for setting pleadings – 1 conference. (ii) in respect of hearing of writ matters, suits, appeals & SLP etc. three conferences (max.)	Rs. 600/- per conference	No change
Appearance in District / Lower Court ..	Rs.1,500/-	No change
Clerkage	10%	No change
Misc. and out of pocket & Expenses	Actual to the satisfaction of the Council.	No change

This is issued with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(Ashutosh Mishra)
Vigilance cum Security Officer

Chief Accounts Officer, NCERT